न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 248/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीः– 1. तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 23.08.2024

राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थी तहसीलदार चौहटन ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 RLR Act पेश कर निवेदन किया कि कार्यालय के आदेशानुसार गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार मूल ग्राम बाछडाउ के सभी खसरों की रकबा बरारी (वन टू वन मैपिंग) कर बाछडाउ के सभी खसरों की नक्शे अनुसार रकबा व मिसल बन्दोबस्त में अंकित रकबे का मिलान किया गया। ग्राम बाछडाउ के खसरा नम्बर 350 वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 12.0920 हैक्ट 74.14 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोवा की रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 350 का रकबा 32.14 बीघा आ रहा है जो जमाबंदी अनुसार कुल रकबे से 42 बीघा कम है। उक्त गोवा मौके पर एनएच 68 सडक पर सलंग्न परिशिष्ट अ में दर्शाये बिन्दू ए, बी, सी, डी, ई, एफ होते हुए बिन्दू एच, आई तक चलता है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त गोवा सलंग्न परिशिष्ट ब में दर्शाये बिन्दू एफ, जी से एच, आई तक दर्ज है। एनएच 68 पर बिन्दू ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक उक्त गोवा मौके पर अनसेटल्ड भूमि (जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है) में चलता है परन्तु राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है। खसरा नम्बर 350 का नक्शे अनुसार कुल रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे से 42 बीघा कम है [illegible] 68 पर बिन्दू ए, बी, सी, डी, ई, एफ के मध्य पर्याप्त अनसेटल्ड [illegible] जिसमें उक्त गोवा चलता है इसलिये एनएच 68 पर बिन्दू ए, [illegible] उक्त गोवा [illegible] 42 बीघा राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाकर रेकर्ड दुरस्त [illegible] जाना उचित है। स[illegible] परिशिष्ट अ में दर्शाये बरंग लाल भाग बिन्दू ए, बी, सी, डी, ई, एफ अनसेटल्ड भूमि रकबा 42 बीघा को राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर मुमकिन गोवा बिन्दू एफ, जी, एच, आई में समायोजित करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उक्त गोवा की एन एच 68 पर बिन्दू ए बी से एच आई तक मौके एवं रेकर्ड में एकरूपता एवं रेकर्ड दुरस्ती किया जाना व्यापक जनहित में है एवं मौके पर खाली पड़ी अनसेटल्ड भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो जाए।

अतः मौके एवं राजस्व रेकर्ड में एकरूपता हेतु सलंग्न परिशिष्ट अ में दर्शाये बरंग लाल भाग बिन्दू ए, बी, सी, डी, ई, एफ को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नम्बर 350 रकबा 74.14 बीघा (12.0920 हैक्ट.) गैर मुमकिन गोवा सलंग्न परिशिष्ट अ में दर्शाये बिन्दू एफ जी से एच आई में समायोजित कर रेकर्ड दुरस्ती के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

तहसीलदार द्वारा पेश आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया । आवेदन में वर्णित तथ्यों को अवलोकन किया, जिसके आधार पर आवेदन 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मौजा बाछड़ाऊ के खसरा सं. 350 रकबा 74.14 बीघा (12.0920 हैक्ट.) गैर मुमकिन गोवा सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बिन्दू एफ जी से एच आई में समायोजित कर रेकर्ड दुरस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार चौहटन की ओर से आवेदन में सलंग्न परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested